

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज.

कमांक:-भू.अ./2016/

दिनांक:- / /2016

प्रेषिति.

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
चित्तौडगढ

महोदय.

नाथू लाल सुहा

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री.भंवर लाल सुहा पिता.....नि.....
पुरो. का. सावंता प.ह. गुम्हाडिया के राजस्व ग्राम पुरो. का. सावंता में जमाबन्दी संवत् 2078
2078 की खाता संख्या 371, 339 में जाति/नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.
ने सम्मानजनक रिपोर्ट नाम नाथू लाल सुहा किये जाने की रिपोर्ट की है।

सम्मानजनक जाति/नाम नाथू लाल सुहा का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जाना
उचित है। दोनों जातियां (पूर्व एवं वर्तमान संशोधन से संबधित जाति) अनुसूचित जाति
श्रेणी के ही अन्तर्गत आती है/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है।

जाति संशोधन की रिथिति में राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42
(बी) का उल्लंघन भी नहीं होता है। अतः संशोधन किया जाना उचित है।

तहसीलदार चित्तौडगढ

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज.

कमांक:-रीडर/2016/

दिनांक:- / /2016

निमित्त: 2015 / 1063

पटवार हल्का गुम्हाडिया

18/12/25

659
2015

विषय:-सम्मानजनक जाति/नाम दर्ज करने बावत।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 136

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/प्रार्थीयान के अनुसार श्री भंवर लाल सुहा पिता नाथू लाल सुहा

राजस्व ग्राम पुरो. का. सावंता प.ह. गुम्हाडिया की खाता संख्या 371, 339 में
पिनांक नाम नाथू दर्ज है। जिसे सम्मानजनक करने हेतु रिपोर्ट जांच व
पहचान प.ह. व भू.अ.नि. द्वारा की गई है। तहसीलदार चित्तौडगढ द्वारा भी जाति/नाम
सम्मानजनक किये जाने की अनुशंसा प्राप्त हुई है।

अतः प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री भंवर लाल सुहा पिता नाथू लाल सुहा

जाति/नाम नाथू लाल सुहा एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत संशोधित दर्ज
करने की स्वीकृत रिपोर्ट द्वारा दी जाती है। प.ह. गुम्हाडिया राजस्व रिकार्ड में
उपरोक्तानुसार अमल की पालना पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ

प्रतिलिपि:-तहसीलदार चित्तौडगढ पालना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ